

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक :- प. एपीएस/डीएस/जीएडी/2015

जयपुर, दिनांक : 8/7/2016

:- आदेश :-

श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छोटें लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शासन सचिवालय, जयपुर को इस विभाग के आदेश संख्या प1(10)साप्र/2/94, दिनांक 3.12.1996 के द्वारा राजकीय आवास संख्या एच-885, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन किया गया। श्री सुरेश कुमार शर्मा कार्मिक (ख-2) विभाग से प्राप्त पत्र प.3(42)कार्मिक/ख-2/83, जयपुर दिनांक 13.6.2016 के अनुसार दिनांक 6.9.2013 से निरन्तर बिना सूचना स्वैच्छापूर्वक अनुपस्थित हैं, जिनके खिलाफ दिनांक 6.3.2014 से कार्मिक (ख-4/जांच) विभाग में विभागीय जांच विचाराधीन है। श्री सुरेश कुमार शर्मा को आवंटित राजकीय आवास संख्या एच-885, गांधीनगर, जयपुर में मौका निरीक्षण के दौरान रिश्तेदार निवासरत पाए गए। विभाग द्वारा लिखे गए पत्रों का प्रतित्युत्तर नहीं दिए जाने एवं राजकीय आवास आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण आवंटित आवास एच-885, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(राजकुमार शर्मा)

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया नियमानुसार आवास रिक्त कराने की कार्यवाही सम्पादित करावें।
2. सहायक, शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर-जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटी से नियमानुसार किराया वसूली की कार्यवाही सम्पादित करावें।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गाँधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
9. श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छोटें लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शासन सचिवालय, जयपुर निवासी-एच-885, गाँधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवास तत्काल रिक्त करें।
10. रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक :- प. एपीएस/डीएस/जीएडी/2015

जयपुर, दिनांक : 8/7/2016

--: आदेश :-

श्री मनोहर लाल मीणा पुत्र श्री कल्याण मल मीणा, गार्ड, वाणिज्यिक कर विभाग, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अ, जयपुर को इस विभाग के आदेश संख्या प. 1(7)साप्र/2/86, दिनांक 20.6.1988 के द्वारा राजकीय आवास संख्या एच-904, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन किया हुआ है। श्री मनोहर लाल मीणा को आवंटित राजकीय आवास पर मौका निरोक्षण के दौरान रिश्तेदार निवासरत पाए गए। विभाग द्वारा लिखे गए पत्रों का संतोषजनक प्रतित्युत्तर नहीं दिए जाने एवं आवास आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण आवंटित आवास एच-904, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(राजकुमार शर्मा)

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया नियमानुसार आवास रिक्त कराने की कार्यवाही सम्पादित करावें।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अ, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गाँधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
8. श्री मनोहर लाल मीणा पुत्र श्री कल्याण मल मीणा, निवासी-एच-904, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजकीय आवास तत्काल रिक्त करें।
9. रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक :- प. एपीएस/डीएस/जीएडी/2015

जयपुर, दिनांक : 8/7/2016

-: आदेश :-

श्री रामसिंह पुत्र श्री दोजीराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (बर्खास्त), शासन सचिवालय, जयपुर को इस विभाग द्वारा वर्ष 1984 में राजकीय आवास संख्या एच-535, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन किया हुआ है। जिसका श्री रामसिंह ने दिनांक 4.5.1984 को कब्जा प्राप्त किया। श्री रामसिंह को कार्मिक विभाग की आज्ञा संख्या प.1(11)का./ख-4/जांच/09, दिनांक 15.2.2011 द्वारा राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। श्री रामसिंह द्वारा आदिनांक तक आवास रिक्त नहीं करने, राजकीय आवास पर ताला लगा होने, राजकीय आवास आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किए जाने एवं विभाग द्वारा लिखे जाने पर भी राजकीय आवास रिक्त नहीं करने के कारण आवंटित राजकीय आवास एच-535, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजकुमार शर्मा)

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया नियमानुसार आवास रिक्त कराने की कार्यवाही सम्पादित करावें।
2. सहायक शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर-जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटी से नियमानुसार किराया वसूली की कार्यवाही सम्पादित करावें।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गाँधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
9. श्री रामसिंह पुत्र श्री दोजीराम, निवासी-एच-535, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवास तत्काल रिक्त करें।
10. रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. एपीएस/डीएस/जीएडी/2015

जयपुर, दिनांक : 8/7/2016

-: आदेश :-

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री धनसिंह, कनिष्ठ लिपिक, पंचायतीराज विभाग, जयपुर को इस विभाग के आदेश संख्या प.23(1)साप्र/2/07, दिनांक 10.1.2008 के द्वारा राजकीय आवास संख्या एच-894, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन किया हुआ है। श्री सुरेन्द्र सिंह को आवंटित आवास पर मौका निरीक्षण के दौरान ताला लगा मिलने, राजकीय आवास की चाबी पड़ोसी के पास मिलने, विभाग द्वारा लिखे गए पत्रों का प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने एवं आवास आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण आवंटित राजकीय आवास एच-894, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजकुमार शर्मा)

(राजकुमार शर्मा)

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया नियमानुसार आवास रिक्त कराने की कार्यवाही सम्पादित करावें।
2. उप सचिव (प्रशासन), पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गाँधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
8. श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी-एच-894, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजकीय आवास तत्काल रिक्त करें।
9. रक्षित पत्रावली।

(राजकुमार शर्मा)

सहायक शासन सचिव